Rcms | 00027

मिसल नं0 207/2010 सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा बनाम रूपचन्द पुत्र भेरूलाल जाति कलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण सं0 108 दिनांक 2.3.2000 को खारिज करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री रूपचन्द पुत्र भेरूलाल कौम कलाल निवासी खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा की गैरखातेदारी की भूमि ग्राम आलनियां की ख0 नं0 204 रकबा 1.29 है0 भूमि आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से खातेदारी दिये जाने के संबंध मे नामा0 सं0 41 दि0 17.05.93 से नामा0 खारिज किया गया था । परन्तु उक्त नामा0 पर ध्यान दिये बिना ही नामा0 सं0 108 दिनांक 02.03.2000 से नामा0 स्वीकृत कर ख0 नं0 204 रकबा 1.29 है वाके ग्राम आलनियां तहसील लाडपुरा पर श्री रूपचन्द पुत्र भेरूलाल जाति कलाल सा0 खेडा जगपुरा को खातेदारी अधिकार प्रदान करने मे त्रुटि की है । अतः क्षेत्राधिकार से बाहर नामा0 प्रमाणित करने के कारण उक्तानुसार राज्य हित मे उक्त नामा0 निरस्त करने आवंटन निरस्त करके उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज करने का निवेदन किया गया । उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । अप्रार्थी की मृत्यु होने पर अप्रार्थी के कायम मुकामान की सूची तलब की जाकर कायम मुकामान की तलबी की गई । परन्तु अप्रार्थी के कायम मुकामान का सही पता अंकित नही होने पर अप्रार्थी के कायम मुकामान के सही पते की जानकारी प्राप्त की गई । पटवारी हल्का रानपुर की रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 मे तथ्य अंकित किये है कि मृतक के वारिसान रोशन बाई के वारिसान की जानकारी देने मे असमर्थ है एवं उक्त भूमि बेचान से क्रेता मै गणेश उघोग जर्ये सुरेन्द्र कुमार आत्मज स्व0 श्री जमनादास अग्रवाल नि0 तलवण्डी कोटा के नाम खाते दर्ज हुई है । ऐसी स्थिति मे उक्त रेफरेन्स मे तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सही पता अंकित करते हुए मय क्रेता को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से रेफरेन्स प्रस्तुत करने पर ही कार्यवाही किया जाना संभव है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे मृतक के कायम मुकामान का नाम व सही पता अंकित करते हुए एवं वादग्रस्त भूमि के क्रेता को पक्षकार बनाते हुए पुनः नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है ।पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अतिरिक्त जिला कलेक्टर	